# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 194/2022 निर्णय दिनांक: 18.02.2025
ऑनलाईन नम्बर 2022/249
आमीन पुत्र गफूर जाति फकीर (काजी) निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रार्थी —

बनाम

1. रफीक पुत्र गफूर जाति फकीर (काजी) निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. जुलेखा पुत्री गफूर पत्नी कासम जाति फकीर (काजी) निवासी प्रतापबस्ती, बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. मदीना पुत्री गफूर पत्नी साबूदीन जाति फकीर (काजी) निवासी अंजूमन स्कूल के पास, सरदारशहर जिला चूरू
4. शरीफन पुत्री गफूर पत्नी सराजुदीन जाति फकीर (काजी) निवासी स्टेशन के पास, सिवाणीबास, सरदारशहर जिला चूरू
5. सईदा पुत्री गफूर पत्नी घीसेखां जाति फकीर (काजी) निवासी गांव लाखाऊ तहसील व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

**उपस्थितिः—**
1. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त अनुवानी दावा मान्य् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। खेत खसरा नम्बर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का 1/6—1/6 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही हैं। प्रार्थी अपने 1/6 हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के आधार पर विभाजन करवाकर अलग से खातेदारी कायम करने के अधिकारी हैं। वादगत खेत का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नही किया हुआ है, वादगत खेत को अपने अपने हिस्से को प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 संयुक्त रूप से काश्त [illegible] आ रहे है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:18:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 1 ता 5 का लेन–देन, खान–पान सब अलग अलग है व अलग अलग ही रहते है लेकिन खातेदारी अभी संयुक्त चली आ रही है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के मध्य लगान चुकाने, ऋण लेने, कुआं बनाने व अपने अपने हिस्से की भूमि के विकास कार्य आदि करवाने में विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन करवाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर में अपने 1/6 हिस्सा की भूमि की खातेदारी अलग से अंकित करवाये। खेत खसरा नम्बर 1040/901 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग एवं उपभोग की भूमि हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने उक्त खसरा भूमि में प्रार्थी के उक्त हिस्सा भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकियां दी हैं । तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि आप ने मेरे हक हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये विक्रय नही कर सकते हो, तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने कहा कि हम तुम्हे खेत में कोई हक व हिस्सा नही देगें व तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को हम ही हमारी ईच्छा अनुसार विक्रय करेगें । अप्रार्थीगण को प्रार्थी की कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग की भूमि को विभाजन करवाये बिना विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। दिनांक 05.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां देते हुये कहा कि हम तुम्हारी जमीन को विभाजन करवाये बिना जबरन किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके ही रहेगें व तुम्हे खेत में घुसने नही देगें। प्रार्थी अपनी खातेदारी हक हिस्सा की भूमि का हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग का अधिकार रखता हैं। जिसके लिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को वादगत खेत का सहमति से विभाजन करवाने के लिए तहसील कार्यालय चलने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने उक्त खेत का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया व प्रार्थी को धमकी दी कि हम कोई विभाजन नही करवायेगें व उक्त खेत में तुम्हारे हिस्से में आई 1/6 भूमि से तुम्हे बेदखल करेगें व अपनी मनमर्जी के मुताविक वादगत खेत को विक्रय करेगें व खाता विभाजन नही होने देगें । प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर खाता विभाजन करवाकर अपना लगान जुदाकायम करवाने व तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रार्थी को उक्त खेत का विभाजन करवाने से इन्कार करने व वादगत खेत को बिना विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देने की धमकी देने की दिनांक 05.09.2022 से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। खेत खसरा नम्बर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा भूमि पर कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी पक्ष में बनता हैं । अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:18:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ने प्रार्थी को दिनांक 05.09.2022 को धमकी देते हुये कहा कि हम तुम्हारी जमीन को विभाजन करवाये बिना जबरन किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके ही रहेगें व तुम्हे खेत में घुसने नही देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में सफल हो गये, तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा । ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित खेत खसरा नम्बर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थी के 1/6 हिस्सा में प्रवेश नही करें, प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल नही करें, प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई बाधा विध्न नही डालें, ना ही वादगत खेत का विधिवत रूप से विभांजन करवाये बिना किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण आदि करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य कारित करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारो पर विपरित असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नंबर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर रोही जैतासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम 1/6–1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के खिलाफ सहखातेदार प्रार्थी गलत मनगढ़त रूप से आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से पेश किया है जो कि प्रथम दृष्ट्या ही खारिज योग्य है। सहखातेदार के विरूद्ध प्रार्थी को किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकार नहीं है। प्रार्थी येनकेन प्रकरण का निर्णय नहीं करवाना चाहता जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाबदावा करीब 1 वर्ष पहले ही पेश कर प्रार्थी के खाता विभाजन पर सहमति दी थी। प्रार्थी के हिस्सा कब्जा बाबत विभाजन प्रस्ताव दो बार पत्रावली पर आया है फिर भी येनकेन करके प्रार्थी अंतिम निर्णय न करवाकर बेवजह अप्रार्थीगण के तंग परेशान कर रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त कतई साबित नहीं है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:18:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। खेत खसरा नंबर 1040/901 तादादी 3.6500 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज है। विभाजन से पूर्व प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का बराबर अधिकार होता है। जिसका निर्धारण मूलवाद में किया जाना है, दौराने वाद यदि कोटीनेन्सी की अराजी को किसी पक्षकार द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अन्तरिम आदेश यदि पारित नहीं किया गया तो वाद बाहुल्यता की संभावना है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:18:52 IST
Reason: SelfAttested